अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2016 अनवानी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवंत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 4 ईई तहसील पदमपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी पदमपुर व तहसीलदार पदमपुर

06–03–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नरेन्द्र सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीएम, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

1– चक 4 ईई की जमीन, को भूमि अवाप्त करने के बारे में (अलाटमेंट से पूर्व) जो जिला कलक्टर गंगानगर ने आदेश जारी किये जिसमें एसडीएम करनपुर को अलाट करने के लिये आदेश दिये गये की एक प्रति।
2– चक 4 ईई तहसील पदमपुर के सीलिंग में आये रकबा की अलाटमेंट के लिये तत् समय के तहसीलदार ने जो प्रकरण (प्रस्ताव बनाकर) एसडीएम को प्रकरण बनाकर हस्तगत किया, की प्रतियां।
3– एसडीएम पदमपुर का कार्यालय सृजन की तारीख का विवरण।
4– एसडीएम कार्यालय के सृजन से पूर्व, एसडीएम करनपुर व तहसीलदार पदमपुर के मध्य उक्त 4 ईई की जमीन के आवंटन के बारे में पत्राचार हुआ उसमें जो हर्षवर्द्धन तहसीलदार के खिलाफ चार्जशीटस/विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव बनाया गया, पत्राचार हुआ, कार्यवाही हुई, पटवारी हल्का ने रिपोर्टस दी। गिरदावर ने रिपोर्टस दी। पैसे जमा करवाये का विवरण।
5– श्री हर्ष वर्द्धन तहसीलदार ने 4 ईई की जमीन को अपने अधिकारों से बाहर जाकर फर्जी एवं षडयन्त्र के तहत अलाट की गई, उक्त अवधि में उक्त चक में कितने भूमिहीन किसान पंजीकृत थे, उनका नाम पता एवं अन्य विवरण मय जाति।
6– श्री हर्षवर्द्धन तहसीलदार ने फर्जी अलाटमेंट करके, जितने हरीजनों को उनके हक से वंचित किया है का नाम पता एवं विवरण।
7– एसडीएम पदमपुर के समक्ष जांच के आदेश देने के बाद तारीखवाईज की गई कार्यवाही के विवरण की प्रति।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 684 दिनांक 08.02.2016 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के प्रा0 पत्र 1,2,4,5,6 का संबंध तहसीलदार पदमपुर से होने के कारण पत्र सं0 5936 दिनांक 08.02.16 से उन्हे हस्तान्तरित किया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई है। बिन्दु सं0 3 व 7 की सूचना अपीलार्थी को पत्र सं0 5935 दिनांक 17.12.2015 से भिजवाई जा चुकी है जो निम्नानुसार भिजवाई गई हैः–

बिन्दु संख्या 3– उपखण्ड कार्यालय पदमपुर का सृजन दिनांक 01.04.2010 को हुआ है।
बिन्दु संख्या 7– एसडीएम पदमपुर के समक्ष जांच के आदेश देने के बाद तारीख वाईज की गई कार्यवाही के विवरण की चित्र प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि आपको प्रमाणित प्रति की आवश्यकता हो तो निर्धारित कोर्ट फीस जमा करवाई जाकर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.12.15 के द्वारा बिन्दु सं0 1, 2, 4, 5, व 6 का उत्तर अपीलार्थी को निम्नानुसार दिया ग्या हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नही है क्यों कि इस प्रश्न का संबंध उपखण्डधिकारी कार्यालय श्रीकरनपुर से है।
2. सीलिंग में अधिग्रहण रकबा का कोई प्रस्ताव किया गया है तो उसका संबंध भी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर से है।
4. जो भी पत्राचार हुआ उसका संबंध में उपखण्डधिकारी कार्यालय श्रीकरनपुर से है।
5. भूमिहीन किसानो का पंजीकरण की कोई भी पंजिका तहसील कार्यालय में संधारित नही की जाती है अतः सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नही है।
6. इस प्रकार का कोई रिकार्ड तहसील में संधारित नही किया जाता है। अतः सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नही है।

उक्त के अलावा अपीलपत्र पर तहसीलदार (भू0अ0) ने अपना प्रतिवेदन संख्या 507 दिनांक 15.02.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:—

1. ग्राम 4 ईई की जमीन अवाप्त करने के बारे में अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर के पत्रांक 4968 दिनांक 27.11.2003 तहसीलदार, पदमपुर को दिये गये। जिसकी फोटो प्रति पटवारी हल्का के रजिस्टर में चस्पा है, जो सलंग्न है।
2. ग्राम 4 ईई की सीलिंग में अधिग्रहित भूमि तत्कालीन तहसीलदार, पदमपुर द्वारा आवंटित की गई थी, जिसमें अधिकतम क्षेत्र संबंधी प्रपत्र 17 जो कि पटवारी हल्का के नामान्तरकरण रजिस्टर में चस्पा है, तीनो की फोटो प्रति सलंग्न है।
3. तहसील कार्यालय पदमपुर से संबंधित नही है।
4. आवंटन के संबंध में जमा राशि का विवरण टीआरए से प्राप्त कर सलंग्न है, तथा तहसीलदार के खिलाफ चार्जशीट, विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव बनाया गया या अन्य पत्राचार हुआ, वह इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
5. ग्राम 4 ईई यह भूमि आवंटन के समय कितने भूमिहीन किसान पंजिकृत थे, इस कार्यालय में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
6. कितने हरिजनो को उनके हक से वंचित किया गया, ऐसा कोई रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
7. तहसील कार्यालय पदमपुर से संबंधित नही है।

तहसीलदार, पदमपुर द्वारा उक्त प्रतिवेदन की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर व तहसीलदार, पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार उतर दिया जा चुका है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर व तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर